

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 1ए/2019

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन अधिकारी चौहटन
मुख्यावास बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

श्री खुशालराम पुत्र श्री रणछोड़राम
माली, मैससे खुशालाराम सब्जी पुड़ी,
बालोतरा शहर, तहसील पचपदरा, जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 09.09.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 02.11.2018 को श्री खेमराम प्रवर्तन अधिकारी चौहटन ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैससे खुशालाराम सब्जी पुड़ी, बालोतरा शहर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर फर्म मालिक अप्रार्थी श्री श्री खुशालराम उपस्थित मिला। उक्त प्रतिष्ठान में पूड़ी सब्जी बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो निम्न घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है—

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	13843-एस, 478296-ई	एचपीसीएल, आईओसीएल	27.5 किग्रा, 17. 8 किग्रा	15.8 किग्रा, 15. 7 किग्रा	8.7 किग्रा, 2.1 किग्रा

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने उक्त गैस सिलेण्डर को

जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स बालोतरा गैस सर्विस बालोतरा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा बावजूद समुचित अवसर प्रदान किये जाने कोई जवाब अथवा प्रतिरक्षण नहीं किया गया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी का नोटिस तामील होने के बावजूद जवाब/प्रतिरक्षण नहीं करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति प्रकट करता है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई



जिला कलक्टर
बाड़मेर

सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(विश्राम शीणा)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर